

प्रारूप-25

(वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत समस्त वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्तावों में भारत सरकार द्वारा निर्धारित प्रपत्रों पर सूचना/अभिलेख संलग्न किये जाने हैं।)

FORM-1

(For linear projects)

Government of Uttarakhand
Office of the District -Uttarkashi

No--- 166/18

Dated----- 11/4/18


TO WHOM SO EVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that 0.46 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of UPCL (name of user agency) for Electrification work (purpose for diversion of forest land) in Uttarkashi district falls within jurisdiction of **Tok-Purti in Mori tehsils.**

It is further certified that:-

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.46 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub-Division level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure.
- The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;
- The proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl: As above.

Signature 
(Full name and official seal of the District Collector)

जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

प्रारूप-25.1

OFFICE OF THE DISTRICT COLLECTOR
DISTRICT-Uttarkashi (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of Uttarkashi district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/Mrs/Miss. *Ashish Chauhan* I.A.S District Collector,, *Uttarkashi* on dated *11/4/18* at time *11:00* at *Am.* in which application claiming rights in **Tok-Purti** area measuring 0.46 hect. for the electrification work of forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub division level committee of sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place: *Uttarkashi*

Dated: *11/4/18*

District Collector *A*
Chairman- District Level Committee
जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

It is further certified that-minuts of Meeting of electrification work in village-Purti. Regarding FRA is as following.

S. No.		Remark
(a)	The complete process for identification and settlement of rights under the FRA had carried out for the entire 0.46 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of record of all consultations and meeting of the forest Right committee(s) Sub Division Level Committee (s) and District Level Committee are enclosed annexure.	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.
(b)	The Diversion of forest land for facilities managed by the Government as requires under section 3 (2) of the FRA has been completed and the Nagar Palika Parishad has given consent to it.	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers. No objection certificate concerned villages regarding construction of electrification work is attached.
(c)	The proposal does not involve recognized right of primitive tribal groups and pre agricultural communities	Yes copy of record attached as there are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional Forest Dwellers.

श्रीमती रेवती राणा
सदस्य
जि० प० (वार्ड-22)
जिला पंचायत सदस्य
तोक-पूति (सिरगा)

जिला समाज कल्याण अधिकारी
जिला समाज कल्याण अधिकारी
उत्तरकाशी

उप निदेशक
उप निदेशक
गोविन्द वन्य जीव विहार/रा० पा०
गोविन्द वन्य जीव विहार/रा० पा०
पुराला, उत्तरकाशी

जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

उत्तरकाशी

जिला समाज कल्याण अधिकारी
जिला समाज कल्याण अधिकारी
उत्तरकाशी

वन दोहोधी-करी
रेज-सांकरी
गोविन्द वन्य जीव विहार राष्ट्रीय पार्क
भुसेला (उत्तरकाशी)

प्रारूप-25.2

परियोजना का नाम :- जनपद उत्तरकाशी ब्लॉक-मोरी में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तोक-पूर्ति के विद्युतीकरण हेतु 11 के0वी0 विद्युत लाईन के निर्माण का कार्य।

कार्यालय उप जिलाधिकारी,
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम-2006
के तहत प्रमाण-पत्र उपखण्ड स्तरीय समिति

उपखण्ड मोरी परिक्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम-सिरगा के तोक-पूर्ति के विद्युतीकरण कार्य हेतु (0.25 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.21 हे0 सिविल एवं सोयम, शून्य वन पंचायत भूमि, निजी भूमि 0.49 हे0 अर्थात् कुल 0.95 हे0 वन भूमि) अर्थात् 0.46 हे0 वन भूमि का उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि0 प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, (तहसील-मोरी) की दिनांक 19/3/18 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरण:-

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक श्री मुरन सिंह राणा उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

1- श्री मुरन सिंह राणा उपजिलाधिकारी

2- श्री डा. रमेश प्रताप सिंह जीव प्रतिपालक

3- श्री मोहन कुमार गोस्वामी सहायक समाज कल्याण अधिकारी

4- श्री विजेन्द्र लाल बी0डी0सी0 क्षेत्र

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि तोक-पूर्ति के विद्युतीकरण कार्य हेतु 0.25 हे0 आरक्षित वन व 0.21 हे0 सिविल सोयम तथा 0.49 निजी भूमि अर्थात् कुल 0.46 हे0 वन भूमि उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि0 प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप निदेशक, गोविन्द वन्य जीव विहार, पुरोला द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड मोरी परिक्षेत्र के अन्तर्गत तोक-पूर्ति के विद्युतीकरण कार्य हेतु 0.46 हे० वन भूमि उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि० प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील.....

जनपद

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अध्यक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति

तहसील.....

जनपद.....

प्रारूप-25.3

वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र

ग्राम पंचायत का नाम-सिरगा (पूर्ति)

तहसील-मोरी, जिला-उत्तरकाशी

अनापत्ति प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम :- जनपद उत्तरकाशी ब्लॉक-मोरी में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के तोक-पूर्ति के विद्युतीकरण हेतु 11 के0वी0 विद्युत लाईन के निर्माण का कार्य।

उत्तराखण्ड में जनपद-उत्तरकाशी के अन्तर्गत दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना के निर्माण हेतु (0.25 हे0 आरक्षित वन भूमि, 0.21 हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि शून्य हे0 वन पंचायत भूमि, निजी भूमि 0.49 हे0 अर्थात् कुल 0.95 हे0) वन भूमि का उत्तराखण्ड पॉवर कारपोरेशन लि0 के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत सिरगा (पूर्ति) द्वारा दिनांक 07/03/18 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया/प्रस्ताव पारित किया गया कि तोक-पूर्ति के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि 0.46 (कुल 0.95 हे0) हे0 प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

ह0/-
ग्राम सचिव
मुहर सहित

ह0/-
ग्राम प्रधान/सरपंच
मुहर सहित
रवि दास
ग्राम पंचायत-सिरगा
मोरी, उत्तरकाशी (20का01)

प्रारूप-25.4

दिनांक 7/3/18 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत ग्राम- सिरगा (पूर्ति)

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1.	दर्शन सिंह	दर्शन
2.	सती सिंह	सती
3.	सौजन सिंह	सौजन
4.	कृपाल सिंह	कृपाल
5.	सुरेंद्र लाल	Surender
6.	किशन सिंह	किशन
7.	श्री चन्द	श्री चन्द
8.	लाल सिंह	लाल
9.	तानी राम	तानी
10.	पती दास	Pati
11.	बिलारी	बिलारी
12.	बिजली देवी	बिजली
13.	बचन देई	बचन
14.	प्रतीमा देवी	प्रतीमा
15.	सुन्दरी देवी	Sundari

ह0/-

ग्राम प्रधान

राम दास

प्रधान

ग्राम पंचायत-सिरगा

पि०ख०-मोरी (उ०का०)

राम दास

प्रधान

ग्राम पंचायत-सिरगा

पि०ख०-मोरी (उ०का०)